पत्रु २०५
3/5/24 न्यायाः सिविल जज (सी० डि०) लखनऊ
सिविल सूट सं०- ४२२/२४

सैय्यद साहिल अहमद

बनाम

मे० अल - बेक - फूड्स एंड ट्रेडिंग प्रा० लि०
आदि

नकल - आदेशदि० २/5/24
(फोटो कापी साथ में है)

3/5/24 | 3/5/24 | 03/5/24 | 03/5/24

UPLK-05-001501-2024

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), लखनऊ।

सिविल सूट सं०-822/2024

सैययद साहिल अहमद बनाम मे० अल-बेक फूडस एंड ट्रेडिंग प्रा०लि० आदि।

दिनांक: 02.05.2024.

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

प्रतिवादी सं०-1 की ओर से प्रार्थनापत्र 15क मय शपथपत्र 16ग अं० आदेश-7 नियम-11 सी०पी०सी० संक्षेप में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा दायर करने के लिए विधिवत अधिकृत नहीं है, क्योंकि वह किसी भी बोर्ड द्वारा अधिकृत नहीं है, इसलिए यह मुकदमा इस आधार पर खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 2 (सी) (xvii) के अनुसार आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार माननीय वाणिज्यिक न्यायालय के पास है। उपर्युक्त वादी और प्रतिवादी के बीच एक अनुबन्ध है। जिसमें दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से एक व्यापारिक समझौता किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपसी सहमति भी है कि वादी का Al-Baik.Com में किसी भी तरह का कोई अधिकार/निहित स्वार्थ नहीं है। इसलिए उपर्युक्त वाद उपर्युक्त समझौता के दायरे में है। वादी के वाद प्रस्तुत वाद दायर करने का कोई वाद कारण नहीं है। प्रतिवादी सं०-1 का ट्रेडमार्क "AL-BAIK" 2007 से उसके द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रतिवादी सं०-1 ने डोमेन नाम Al-Baik.Com दिनांक 07/03/2009 को यूएसए स्थित डोमेन नाम होस्ट Godaddy.com के साथ पंजीकृत किया है और उनके द्वारा अपने व्यवसाय के लिए लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी ने 2015 में "AL-BAIK.COM" नाम और डिवाइस मार्क अपनाया और 2016 में फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया, इसलिए प्रतिवादी के ट्रेडमार्क में वादी की तुलना में प्राचीनता का एक तत्व है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है कि इसका उपयोग किया जा रहा है। वादी कथित एसाइनमेंट विलेख के आधार पर अधिकार का दावा करता है। प्रतिवादी सं०-1 के पास वादी और प्रश्नगत ट्रेडमार्क से संबंधित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कई अस्थायी निषेधाज्ञाएं हैं। इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्य, कारणों और परिस्थितियों के मद्देनज़र, वादपत्र आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (सी) (xvii) से बाधित है। अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत वाद को निरस्त करने की कृपा करें।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र के विरुद्ध आपत्ति 20ग मय शपथपत्र 21ग इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि मुकदमा वादी द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर किया गया है क्योंकि वादी ट्रेडमार्क संख्या 2554383 का एकमात्र मालिक है, जोकि मुकदमे का विषय है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (सी) (xvii) के प्रावधान बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण, स्वामित्व या असाइनमेंट से संबंधित "वाणिज्यिक विवादों" के मामले में लागू होते हैं, जबकि वर्तमान में निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया है जो माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। न तो प्रतिवादी सं० 1 वादग्रस्त में ट्रेडमार्क जिसका शब्द प्रकार- "Al-Baik" है, का मालिक, संयुक्त-मालिक है, और न ही प्रतिवादी ने वादग्रस्त ट्रेडमार्क अर्थात् "Al-Baik" का उपयोग करने के अपने अधिकार के संबंध में कोई ट्रेडमार्क प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त समझौता दिनांक 26.10.2019 जैसा कि प्रतिवादी द्वारा सन्दर्भित है, एक फर्जी दस्तावेज है जिसे वादी द्वारा कभी निष्पादित नहीं किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वादी

और प्रतिवादी संख्या के बीच हुआ समझौता मौखिक था तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या के कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 के पास ऐसा कोई ट्रेडमार्क शब्द प्रकार 'Al-Baik' नहीं है जैसा कि उसने दावा किया है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 04.11.2017 को ट्रेडमार्क आवेदन संख्या के माध्यम से श्रेणी 43 में "AL-BAIK.COM" शब्द के लिए उक्त ट्रेडमार्क के लिए आवेदन 3669999 किया था जिसे 13.03.2020 को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। प्रतिवादी नं० 1 उक्त डोमेन नाम का उपयोग अनधिकृत तरीके से और माननीय न्यायालय द्वारा पारित विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन कर रहा है। प्रार्थनापत्र का पैरा 12 झूठा और भ्रामक हैं, इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है। उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पैरा में उल्लिखित डिवाइस चिह्न से संबंधित अनुलग्नक वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के हैं। मुकदमे में डिवाइस चिह्न के संबंध में कोई विवाद शामिल नहीं है और यह मुकदमे का विषय नहीं है। वादी शब्द प्रकार "Al-Baik" का ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत प्रमाणपत्र संख्या 1879359 ट्रेडमार्क नं० 2554383 के साथ पंजीकृत है और दिनांक 25.06.2033 तक वैध है और प्रतिवादी द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया है। जैसा कि वादी द्वारा रिकॉर्ड पर दाखिल दस्तावेजों से स्पष्ट है। श्रेणी 43 ट्रेडमार्क के संबंध में उनके आवेदन में उल्लिखित प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार एक गलत बयान है और प्रतिवादी संख्या 1 के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त ट्रेडमार्क आवेदन को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जो कि वादी द्वारा पहले से ही दर्ज किए गए रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज़ से स्पष्ट है। वाणिज्यिक न्यायालय 2015 की धारा 2 (सी) (xvii) का प्रावधान वाणिज्यिक विवादों से संबंधित है और वर्तमान मामले में कोई वाणिज्यिक विवाद शामिल नहीं है और न ही वादी और प्रतिवादी संख्या-1 के बीच कोई व्यावसायिक लेनदेन, व्यापारिक लेनदेन, समझौता या अनुबंध है। इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उक्त प्रावधान न तो प्रतिवादी संख्या द्वारा आकर्षित होते हैं और न ही लागू किए जाते हैं। वर्तमान मामले में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत संरक्षित अधिकारों का धोखाधड़ीपूर्ण उल्लंघन शामिल है जिसे कभी भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी सं०-1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न विधिव्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं-

1. Jagdeesh Chandra & others Vs Krishna Mohan Agrawal & Others (Second Appeal No.-37 of 2020)

2. Saleem Bhai And others Vs State of Maharashtra and others (2003)1 Supreme Court Cases 557: 2002 SCC Online SC 1232

3. Church Of Christ Charitable Trust And educational Charitable Society Vs Ponniamman Educational Trust (2012) 8 Supreme Court Cases 706: (2012) 4 Supreme Court Cases (Civ) 612: SCC Online SC 1237

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Ladymoon Towers Private Limited Vs Mahendra Investment Advisors Private पर बल दिया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा माननीय न्यायालयों की विधिव्यवस्थाओं का सादर अध्ययन किया।

आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के अंतर्गत कोई वादपत्र उसी दशा में नामंजूर किया जा सकता है जबकि वादपत्र वाद कारण उद्घाटित नहीं करता है, याचित अनुतोष अल्पमूल्यांकित होता है, प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त होता है, वादपत्र में कथनों के आधार पर वाद किसी विधि से बाधित प्रतीत होता है, वादपत्र दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है अथवा वादी प्रतिवादीगण

पर सम्मन की तामीला हेतु वादपत्र की प्रतियाँ एवं आदेशिका शुल्क जमा नहीं करता है।

प्रतिवादी द्वारा वादपत्र नामंजूर किये जाने की याचना मुख्यतः इस आधार पर की गयी है कि वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार वाणिज्यिक न्यायालय को है अतः इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः वादी का वादपत्र आदेश–7 नियम–11(d) के तहत नामंजूर किया जाये। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा–2(1)(c)(xvii) प्रावधान करती है कि "इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वाणिज्यिक विवाद से रजिस्ट्रीकृत और अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों, प्रतिलिप्याधिकार पेटेंट, डिजाइन, प्रभुत्व क्षेत्र नामों, भौगोलिक उपदर्शनों और अर्धचालक एकीकृत सर्किटों से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से उद्भूत होने वाले विवाद अभिप्रेत हैं।"

इस प्रकार धारा–2(1)(c)(xvii) के अनुसार व्यापार चिन्हों (Trade Mark) से सम्बन्धित विवाद वाणिज्यिक विवाद की श्रेणी में आते हैं। प्रस्तुत मामले में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य "Al–Baik" व्यापारिक चिन्ह के सम्बन्ध में विवाद है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी को "Al–Baik का प्रयोग करने से रोकने, अपनी वेबसाइट से "Al–Baik" नाम हटाने तथा अपनी व्यापारिक गतिविधियों में "Al–Baik" का प्रयोग करने से रोकने की याचना की गयी है। अतः प्रस्तुत मामले में व्यापारिक चिन्ह से सम्बन्धित विवाद है। अतः प्रस्तुत मामले का विवाद वाणिज्यिक विवाद की श्रेणी में आता है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा–6 के अनुसार "वाणिज्यिक न्यायालय को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में, जिस पर उसमें राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता निहित की गयी है, उद्भूत किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के सम्बन्ध में सभी वादों और आवेदनों का विचारण करने की अधिकारिता होगी।" वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा–2(झ) के अनुसार किसी वाणिज्यिक विवाद के सम्बन्ध में "विनिर्दिष्ट मूल्य" से किसी वाद की बाबत विषय–वस्तु का धारा 12 के अनुसार यथा अवधारित ऐसा मूल्य अभिप्रेत है, जो तीन लाख रुपये या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम का नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।"

इस प्रकार तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों का क्षेत्राधिकार वाणिज्यिक न्यायालय को है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का मूल्यांकन एक करोड़ पचास लाख रुपये किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार वाणिज्यिक न्यायालय को है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा–15(2) के अनुसार "किसी जिले या क्षेत्र के, जिसके सम्बन्ध में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, किसी सिविल न्यायालय में लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद से सम्बन्धित सभी वाद और आवेदन, जिनके अंतर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अधीन आवेदन भी है, उस वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित कर दिये जायेंगे।" वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा–21 के अनुसार "इस अधिनियम के उपबंध, जैसाकि अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुये भी प्रभावी होगें।"

न्यायालय के मत में धारा 15(2) व धारा 21 का संचयी प्रभाव यह है कि जिन मामलों में वाणिज्यिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार है ऐसे मामले में सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी का प्रस्तुत वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम से बाधित है।

इस सम्बन्ध में वादी द्वारा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Ladymoon Towers Private Limited Vs Mahendra Investment Advisors Private

प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वाणिज्यिक विवादों में मात्र वे विवाद सम्मिलित होते हैं, जोकि पक्षकारों के मध्य वाणिज्यिक संव्यवहार में उत्पन्न होते हैं। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद उनके मध्य वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः प्रस्तुत विवाद वाणिज्यिक विवाद की श्रेणी में नहीं आता है।

न्यायालय वादी के उक्त तर्क से सहमत नहीं है। Ladymoon Towers Private Limited Vs Mahendra Investment Advisors Private वाला मामला वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा–2(1)(c)(i) से सम्बन्धित था। उक्त मामले में स्वयं माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त मामले का खंड (ii) से (xvii) लागू नहीं होते हैं। किन्तु प्रस्तुत मामले में धारा–2(1)(c) खण्ड–(xvii) लागू होता है। अतः माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में लागू नहीं है। अतः वादी को उक्त विधिव्यवस्था का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी का वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम से बाधित है। अतः वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 (d) सी०पी०सी० के अंतर्गत नामंजूर किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 15क स्वीकार किया जाता है। वादी का वादपत्र 7 नियम 11 (d) सी०पी०सी० के अंतर्गत नामंजूर किया जाता है। आपत्ति 20ग तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अंकुर गर्ग) – UP 1927
सिविल जज (सी०डि०) लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
03/5/24
प्रधान प्रतिलिपिक
जिला एवं सत्र न्यायालय
लखनऊ